राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/19/3521 जयपुर,दिनांकः 21-6-19

## परिपत्र

आगामी नगरपालिका चुनाव हेतु वार्डो के पुनर्गठन एवं परिसीमन हेतु समय–समय पर इस विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत वार्डो के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन का कार्य दिनांक 04.07.2019 तक पूर्ण किया जाना है एवं दिनांक 05.07.19 को पुनर्सीमांकन प्रस्तावों पर आपत्ति आमंत्रित करने हेतु नगरपालिका के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करते हुए एवं किसी एक स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना है, ताकि जनसाधारण को नवपुनर्गठित वार्डो के सीमांकन के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सके। आपत्ति प्रकाशन हेतु प्रारूप संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। यह आपत्तियां जनसाधारण द्वारा दिनांक 05.07.2019 से दिनांक 15.07.2019 तक नगरपालिका के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को प्रस्तुत की जा सकेंगी।

सभी मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्राप्त आपत्तियों को वार्डवाईज संकलित कर सभी आपत्तियों पर अपनी टिप्पणी अंकित करेंगे तथा टिप्पणी के समुचित समाधान हेतु राज्य सरकार को भेजे जाने से पूर्व सभी संबंधित उप निदेशक (क्षेत्रीय) अपने–अपने क्षेत्र की नगरपालिकाओं के वार्डो के पुनर्सीमांकन प्रस्ताव का अवलोकन करेंगे तथा टिप्पणी समुचित रूप से की गई है यह भी सुनिश्चित करेंगे। यदि टिप्पणी समुचित नहीं है, तो उप निदेशक (क्षेत्रीय) इसे संशोधित कर राज्य सरकार के निस्तारण हेतु प्रेषित करेंगे। सभी उप निदेशक (क्षेत्रीय) यह भी सुनिश्चित करेंगे कि यह प्रस्ताव दिनांक 22.07.19 से पूर्व राज्य सरकार को प्राप्त हो जावे। राज्य सरकार द्वारा आपत्तियों का निस्तारण एवं प्रस्तावों का अनुमोदन दिनांक 23.07.19 से 06.08.2019 तक किया जाना है। इसके लिए निदेशालय मुख्यालय पर संभागवाईज कैम्प आयोजित कर आपत्तियों का निराकरण एवं प्रस्तावों का अनुमोदन किया जायेगा।

कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए सभी कार्य निर्धारित समय–सीमा के अनुरूप पूरा किया जाना सुनिश्चित करे।

**संलग्नः–उपरोक्तानुसार**

( पवन अरोडा )
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकःप.8(ग)( )नियम/डीएलबी/19/3522–3750 दिनांकः 21-6-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक,माननीय मंत्री महोदय,स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राज0, जयपुर।
5. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकाए, समस्त राज.।
6. समस्त अधिकारीगण/कर्मचारीगण, निदेशालय।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिकाऐ, समस्त राज.।
10. प्रोग्रामर, निदेशालय को नेट पर उपलब्ध कराने बाबत्।
11. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

Scanned by CamScanner

**नगरपालिका के आगामी चुनाव हेतु पुनर्गठित वार्डो के सीमांकन के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत किये जाने बाबत्।**

| क.सं. | नगरपालिका का नाम | पूर्व में गठित वार्डो की संख्या | वर्तमान नवगठित वार्डो की संख्या | नवगठित वार्डो के सीमांकन का विवरण (वार्ड वाईज) |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

उपरोक्त तालिका के अनुरूप वार्डो के पुनर्गठन के प्रस्ताव तैयार किये जाकर सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जा रहे है, जिस किसी भी व्यक्ति को नवगठित वार्डों के पुनर्गठन एवं पुनर्सीमांकन के संबंध में कोई आपत्ति है, तो वह दिनांक 05.07.2019 से दिनांक 15.07.2019 तक के मध्य, अपनी आपत्ति लिखित रूप में मुख्य नगरपालिका अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी

Scanned by CamScanner